भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/डीओआर/2025-26/346
डीओआर.एफआईएन.आरईसी.सं.265/03.10.119/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी) निदेश, 2025 (15 अप्रैल 2026 को अद्यतन)

विषय-सूची

अध्याय । - प्रारंभिक.....2
अध्याय-II चल आस्तियों के रख-रखाव की आवश्यकता.....11
अध्याय-III एनबीएफसी द्वारा जनता की जमाराशियों की स्वीकृति पर प्रतिबंध.....12
अध्याय-IV जनता की जमाराशि की चुकौती के संबंध में सामान्य प्रावधान 19
अध्याय – V विविध अनुदेश 22
अध्याय- VI रिपोर्टिंग की आवश्यकता.....29
अध्याय-VII निरसन और अन्य प्रावधान 30
अनुबंध I न्यास करार प्रारूप 34
अनुबंध II चल आस्तियां (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) न्यासी दिशा निर्देश.....41

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 के अधिनियम 2) की धारा 45जे, 45जेए, 45के, 45एल, और 45एमए,राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987(1987 के अधिनियम 53) की धारा 30, 30ए, 32 और 33 तथा इस संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय । - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर डाले जाने के दिन से प्रभावी होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. इन निदेशों की प्रयोज्यता इस प्रकार होगी:

(1) यह निदेश निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जिसे आगे से 'एनबीएफसी ' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे:

(i) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-डी।

(ii) एनएचबी अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत जमा लेने वाली एचएफसी।

बशर्ते कि पैरा 10, 11, 30, 40, 50 से 52, 62 और 63 जमा लेने वाली एचएफसी के लिए लागू नहीं होगा। जमा लेने वाले एचएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनी) निदेश, 2025 के अध्याय VI में निहित प्रावधानों द्वारा निदेशित किया जा सकता है।

बशर्ते कि पर्यवेक्षकों को इन निदेशों में निर्धारित आवश्यक रिपोर्टिंग जमा लेने वाली एचएफसी द्वारा संबंधित पर्यवेक्षकों को दी जाएगी।

(iii) एनबीएफसी जो की एक सरकारी कंपनी है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड (45) की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है।

(2) यह निदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(i) म्यूचुअल बेनेफिट वित्तीय कंपनी अथवा म्यूचुअल बेनेफिट कंपनी।

बशर्ते कि म्यूचुअल बेनेफिट कंपनी का आवेदन भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) के प्रावधानों के तहत द्वारा अस्वीकार नहीं कर दी गई हो।

(ii) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम 4) की धारा 3 के तहत जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाली बीमा कंपनी, या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 42) की धारा 4 के तहत अधिसूचित स्टॉक एक्सचेंज, या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम 15) की धारा 12 में परिभाषित स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी;

(iii) जनता से जमाराशि स्वीकार/धारण नहीं करने वाली एनबीएफसी:

बशर्ते कि कंपनी अगले वित्तीय वर्ष और प्रत्येक बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के तीस दिनों के भीतर अपने निदेशक मंडल की बैठक में इस आशय का एक संकल्प पारित करेगी कि कंपनी ने न तो जनता की जमाराशि को स्वीकार किया है और न ही वर्ष के दौरान किसी भी जनता की जमाराशि को स्वीकार करेगी।

(iv) जनता से जमाराशि स्वीकार/धारण नहीं करने वाली एचएफसी:

बशर्ते कि कंपनी अगले वित्तीय वर्ष और प्रत्येक बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के तीस दिनों के भीतर अपने निदेशक मंडल की बैठक में इस आशय का एक संकल्प पारित करेगी कि कंपनी ने न तो जनता की जमाराशि को स्वीकार किया है और न ही वर्ष के दौरान किसी भी जनता की जमाराशि को स्वीकार करेगी।

(v) कंपनी,

(ए) जिसने केवल अपने समूह/धारिता/सहायक कंपनियों के शेयरों/प्रतिभूतियों का अधिग्रहण किया है और ऐसा अधिग्रहण किसी भी समय उसकी कुल आस्ति के 90 प्रतिशत से कम नहीं है;

(बी) जो ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करता है; और

(सी) जो किसी भी जनता की जमाराशि को स्वीकार/धारण नहीं करता है;

बशर्ते कि कंपनी प्रत्येक अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के तीस दिनों के भीतर अपने निदेशक मंडल की बैठक में इस आशय का एक संकल्प पारित करती है कि कंपनी ने अपनी आस्तियों के कम से कम 90 प्रतिशत के अपने समूह/धारिता/सहायक कंपनियों के शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश किया है अथवा निवेश/धारण करेगी और (प्रत्येक कंपनी का नाम विनिर्दिष्ट किया जाना है), कि वह ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगी और यह कि उसने वर्ष के दौरान किसी भी जनता की जमाराशि को न तो स्वीकार किया है और न ही स्वीकार करेगी।

4. रिज़र्व बैंक, यदि किसी कठिनाई से बचने के लिए अथवा किसी अन्य न्यायोचित और पर्याप्त कारण से आवश्यक समझता है, तो तो कुछ शर्तें लगाकर, रिज़र्व बैंक, किसी कंपनी अथवा कंपनियों की श्रेणी को इन निदेशों के सभी अथवा किसी भी उपबंधों से अथवा सामान्य रूप से अथवा किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समय का विस्तार प्रदान कर सकता है।

5. यह निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी किए गए विनियमों को समेकित करते हैं। हालांकि, रिज़र्व बैंक के किसी अन्य विभाग द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निदेश/दिशानिर्देश, जो जमा लेने वाली एनबीएफसी पर लागू होते हैं, उसका उसे अनुपालन किया जाएगा।

6. अपने ग्राहकों को हरित जमा की पेशकश करने के इच्छुक जमाएं लेने वाली एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जलवायु वित्त और जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 का अनुपालन करना होगा, जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित किया गया है।

सी. परिभाषाएं

7. इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो:

(1) 'जमाकर्ता' से तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी कंपनी में जमाराशि रखी है; अथवा ऐसे जमाकर्ता का कोई उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक अथवा समनुदेशिती।

(2) 'जमा लेने वाली एचएफसी' से तात्पर्य एक आवास वित्त कंपनी जिसे जनता की जमाराशि स्वीकार करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया है।

(3) 'जमा लेने वाली एनबीएफसी' (एनबीएफसी-डी) से तात्पर्य एक एनबीएफसी जिसे जनता की जमाराशि स्वीकार करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया है।

(4) 'निर्बंध आरक्षित निधियां' से तात्पर्य शेयर प्रीमियम खाते, पूंजी और डिबेंचर शोधन आरक्षित निधियां और किसी कंपनी के तुलन पत्र में दिखाए गए अथवा प्रकाशित कोई अन्य आरक्षित निधि, जो किसी भी भविष्य की देयता के पुनर्भुगतान के लिए अथवा परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए अथवा अशोध्य ऋणों के लिए अथवा कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए आरक्षित निधियों के लिए आरक्षित नहीं है।

(5) 'हाइब्रिड डेट' का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में परिभाषित किया गया है।

(6) 'बीमा कंपनी' का अर्थ है बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम 4) की धारा 3 के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी।

(7) 'निवेश और ऋण कंपनी का तात्पर्य है जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 में 'एनबीएफसी-आईसीसी' शब्द को दिया गया है।

(8) 'ऋणदायी सरकारी वित्तीय संस्था' से तात्पर्य है -

(i) कोई सरकारी वित्तीय संस्था जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) की धारा 4ए में विनिर्दिष्ट अथवा उसके अधीन है; या

(ii) कोई राज्य वित्तीय औद्योगिक अथवा निवेश निगम; या

(iii) कोई अनुसूचित वाणिज्य बैंक; या

(iv) सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम; या

(v) ऐसी कोई अन्य संस्था जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(9) 'पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी' से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620ए के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्था है;

(10) 'पारस्परिक लाभ कंपन' से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620ए के अधीन अधिसूचित नहीं है और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार-

(i) 9 जनवरी 1997 को कर रही है और

(ii) जिसके पास कुल निवल स्वाधिकृत निधियां तथा अधिनिमान्य शेयर पूंजी दस लाख रुपये से कम नहीं है, और

(iii) जिसने 9 जुलाई 1997 को या उसके पहले रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया है; और

(iv) जो केन्द्र सरकार द्वारा निधि कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637ए के तहत जारी निदेशों के संगत उपबंधों में निहित अपेक्षाओं का पालन करती है।

(11) 'निवल स्वाधिकृत निधि' से तात्पर्य है आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45आइए के अधीन यथा परिभाषित निवल स्वाधिकृत निधि है जिसमें इक्विटी में अनिवार्यतः परिवर्तनीय चुकता अधिमानी शेयरों का समावेश है।

(12) `गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' (एनबीएफसी) का अर्थ है केवल गैर-बैंकिंग संस्था जो एक निवेश और ऋण कंपनी अथवा आवास वित्त कंपनी अथवा पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी अथवा फैक्टरिंग

विनियमन अधिनियम (2011) की धारा 3 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एक फैक्टर है;

(13) 'समस्याग्रस्त एनबीएफसी' का अर्थ है ऐसी एनबीएफसी-

(i) परिपक्व जनता की जमाराशियों के पुनर्भुगतान के लिए पांच कार्य दिवसों के भीतर किसी भी वैध मांग को पूरा करने से मना कर दिया है या विफल रही है; या

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58एए या कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधान के तहत कंपनी विधि बोर्ड/एनसीएलटी को किसी भी जनता की जमा या उसके भाग या उसके किसी भी ब्याज के पुनर्भुगतान में एक छोटे जमाकर्ता को इसके चूक के बारे में सूचित करता है; या

(iii) अपने जमा दायित्वों को पूरा करने के लिए चलनिधि परिसंपत्ति प्रतिभूतियों की निकासी के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करता है; या

(iv) जनता की जमा या अन्य दायित्वों को पूरा करने में चूक से बचने के लिए इन निदेशों के प्रावधानों से या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू किसी अन्य निदेश से किसी भी राहत या छूट या छूट के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करता है; या

(v) रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को या तो स्वत: प्रेरित अथवा जमाकर्ताओं की शिकायतों के आधार पर जनता की जमाराशियों की अदायगी अथवा देय राशियों का भुगतान न किए जाने के बारे में कंपनी के ऋणदाताओं की शिकायतों के आधार पर एक समस्याग्रस्त एनबीएफसी के रूप में चिन्हित किया गया है।

(14) `जनता की जमाराशि' से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई (बीबी) के तहत यथा परिभाषित जमाराशि, जिसमें निम्नलिखित का समावेश नहीं है,

(i) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त कोई राशि अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त ऐसी राशि जिसकी चुकौती केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकरण या व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि;

(ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, या सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम और उसके सहयोगी, अथवा भारतीय

लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम 39) के तहत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, या भारतीय यूनिट न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट न्यास, या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1982 के तहत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित विद्युत मंडल, या तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि., या भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि., या भारतीय पुनर्वास उद्योग निगम लि., या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि., या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., या भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि., या भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि., या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि., या कृषि वित्त निगम लि., या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि., या एशियाई विकास बैंक या अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम 1) के अंतर्गत गठित कंपनी अथवा किसी अधिनियम द्वारा अथवा के तहत स्थापित कोई निगम अथवा किसी राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई सहकारी सोसाइटी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट अन्य किसी संस्था से प्राप्त कोई राशि;

(iii) किसी अन्य कंपनी से किसी कंपनी को प्राप्त राशि;

(iv) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत शेयर आवेदन राशि अथवा कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 और समय समय पर संशोधनों के अनुसार अनुमत अवधि के लिए प्रतिभूति आवंटन हेतु लंबित आवंटन के लिए देय अग्रिम सहित, किसी प्रतिभूति के अंशदान के रूप में प्राप्त और धारित राशि;

(v) किसी व्यक्ति से प्राप्त की गई ऐसी राशि जिसकी प्राप्ति के समय वह व्यक्ति उस कंपनी का निदेशक हो या किसी निजी कंपनी द्वारा या ऐसी निजी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से प्राप्त कोई राशि, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43ए के तहत सार्वजनिक कंपनी बन गई है और अपने अंतर्नियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित उपबंध शामिल करना जारी रखती है, *बशर्ते कि* निदेशक या शेयरधारक, जो भी मामला हो, जिससे धन प्राप्त हुआ है, धन देते समय कंपनी को इस आशय का एक लिखित घोषणापत्र देता है कि उक्त राशि उधार अथवा अन्यों से स्वीकार की गई निधियों से नहीं दी जा रही है;

आगे शर्त यह है कि निजी कंपनी के संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, संबंधित संयुक्त शेयरधारकों से या उनके नाम पर प्राप्त राशियां, प्रथम नाम वाले शेयरधारक को छोड़कर, संबंधित कंपनी के शेयरधारक से प्राप्त धन के रूप में मानी जाने हेतु पात्र नहीं होंगी।

(vi) संबंधित कंपनी की किसी अचल संपत्ति या किसी अन्य परिसंपत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत बांडों या डिबेंचरों के निर्गम द्वारा या उनको उक्त कंपनी के शेयरों; जिन्हें अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तित किया गया हो, से जुटाई गई राशि बशर्ते यदि ऐसे बांड या डिबेंचर किसी अचल संपत्ति के बंधक द्वारा या किसी अन्य परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत है तो ऐसे बांडों या डिबेंचरों की राशि उक्त अचल संपत्ति/ अन्य परिसंपत्तियों के बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(vii) एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचर के निर्गमन द्वारा जुटाई गई कोई भी राशि जिसका प्रति निवेशक अभिदान, रु एक करोड़ तथा उससे अधिक हो , बशर्ते कि ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचर रिज़र्व बैंक द्वारा समय- समय पर जारी दिशानिर्देश के अनुसार निर्गत किए गए हो।

(viii) ऋणदात्री संस्थाओं की शर्तों के अनुसरण में बेज़मानती ऋण के ज़रिए प्रवर्तकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के पालन के अधीन लाई गई राशि -

(ए) ऐसे वित्त में अंशदान से संबंधित प्रवर्तक के दायित्व की पूर्ति में ऋणदात्री सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसरण में संबंधित ऋण लाया गया है।

(बी) स्वयं प्रवर्तकों और/या उनके रिश्तेदारों द्वारा दिया गया ऋण, तथा न कि उनके मित्रों या कारोबारी सहयोगियों द्वारा दिया गया ऋण; और

(सी) इस उप-खंड के अधीन केवल वित्तीय संस्था के ऋण की चुकौती होने तक ही छूट उपलब्ध होगी; उसके बाद नहीं।

(ix) पारस्परिक निधि से प्राप्त कोई राशि जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियमावली, 1996 द्वारा नियंत्रित है;

(x) ऐसे संमिश्र ऋण या गौण ऋण के रूप में प्राप्त राशि, जिनकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि साठ महीने से कम न हो; बशर्ते जारीकर्ता द्वारा उक्त अवधि के अंदर वापस लेने का कोई विकल्प न हो;

(xi) किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक के रिश्तेदार से प्राप्त राशि

टिप्पणी: जमाकर्ता द्वारा किए गए ऐसे आवेदन पर ही, जिसमें यह निहित हो कि जमाराशि की तारीख को, वह कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत

यथापरिभाषित रिश्तेदार की क्षमता में विशिष्ट निदेशक से संबंधित है, जमाराशि स्वीकार की जाएगी।

(xii) मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक (एक वर्ष तक मूल अथवा प्रारंभिक परिपक्वता के वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर) निदेश, 2024 के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी करने से प्राप्त कोई भी राशि –;

(xiii) किसी एनबीएफसी-मिडिल लेयर और उससे ऊपर की जमा राशि (जमा लेने वाली एनबीएफसी को छोड़कर) द्वारा रिज़र्व बैंक से इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और समय-समय पर यथा संशोधित 'बेमीयादी ऋण लिखत' जारी करके प्राप्त की गई कोई भी राशि;

स्पष्टीकरण: एनबीएफसी- मिडिल लेयर को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 में परिभाषित किया गया है।

(xiv) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीएफ के तहत समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विशिष्ठ उल्लेख के अनुसार, इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी द्वारा इंफ्रास्ट्रकचर बांड के माध्यम से जुटाई गई राशि,

(xv) एनएचबी या किसी सार्वजनिक आवास एजेंसी से एचएफसी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि।

(15) `प्रतिभूतियों' से तात्पर्य है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 42) की धारा 2(एच) में यथा परिभाषित प्रतिभूति;

(16) 'अधीनस्थ डेट' का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में परिभाषित और प्रदान किया गया है।

(17) `स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी' से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम 15) की धारा 12 के तहत प्राप्त पंजीकरण के वैध प्रमाणपत्र धारण करनेवाले स्टॉक ब्रोकर या सब-ब्रोकर का कारोबार करती है; और

(18) `शेयर बाज़ार' का अर्थ है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 42) की धारा 4 के तहत शेयर बाज़ार के रूप में पहचानी जानेवाली कंपनी।

(19) 'छोटी जमा' का अर्थ है एनबीएफसी की सभी शाखाओं में समान क्षमता में एकमात्र या पहले नामित जमाकर्ता के नाम पर 10,000/- रुपये से अधिक की जनता की जमा राशि से अधिक नहीं।

8. ऐसे शब्दों या अभिव्यक्तियों जिन्हें इन निदेशों में प्रयोग में लाया गया है लेकिन यहां परिभाषित नहीं किया गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो आरबीआई अधिनियम,1934 में निर्धारित किया गया है। ऐसे अन्य शब्दों या अभिव्यक्तियों जिन्हें इन निदेशों में प्रयोग में लाया गया है और जिनका इन निदेशों तथा अन्य निदेशों अथवा आरबीआई अधिनियम, 1934 अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य कोई निदेश में परिभाषित नहीं किया गया है; का स्थिति के अनुसार वही अर्थ होगा जो कि क्रमशः कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित किया गया है।

9. (1) यदि किसी कंपनी के वित्तीय संस्था होने अथवा न होने के संबंध में प्रश्न उठता है, तो रिज़र्व बैंक, केन्द्र सरकार के परामर्श से उस पर निर्णय लेगा और रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

(2) यदि किसी कंपनी के, जो एक वित्तीय संस्था है, निवेश और ऋण कंपनी होने के संबंध में प्रश्न उठता है तो इस संबंध में कंपनी के मुख्य व्यवसाय तथा अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक निर्णय लेगा और रिज़र्व बैंक द्वारा लिया गया यह निर्णय सभी संबंधित पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

अध्याय-II चल आस्तियों के रख-रखाव की आवश्यकता

10. प्रत्येक एनबीएफसी-डी भारत में भारमुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों में इन प्रतिभूतियों के वर्तमान अधिकतम बाजार भाव से कम दर पर दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कारोबार दिवस को इन निदेशों के पैरा 7(14) में यथापरिभाषित शेष "जनता की जमाराशियों" का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा निवेश करेगी और प्रत्येक कारोबार दिवस अथवा किसी अन्य दिवस को यह निवेश बनाए रखेगीं और

11. आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 45-आईबी के सभी अन्य प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित उक्त आवश्यकता के लिए लागू होंगे जैसे कि "जनता की जमाराशियां" का वही तात्पर्य होगा जैसा कि उक्त प्रावधान में "जमा" का है।

बशर्ते कि ऐसी एनबीएफसी जनता की जमाराशियों का दस प्रतिशत अथवा इससे अधिक भारमुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों में और शेष भारमुक्त प्रतिभूतियों में निम्नानुसार निवेश करने के लिए पात्र होगीं।

(1) किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अथवा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीन विकास बैंक (नाबार्ड) में आवधि जमा अथवा

(2) सिडबी या नाबार्ड द्वारा जारी बॉण्ड।

बशर्ते कि भारमुक्त स्वीकृत प्रतिभूति, आवधि जमा और बॉण्ड में निवेश की सकल राशि ऊपर बताये अनुसार जनता की जमाओं के 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

अध्याय-III एनबीएफसी द्वारा जनता की जमाराशियों की स्वीकृति पर प्रतिबंध

ए. न्यूनतम साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

12. कोई भी एनबीएफसी जनता की जमाराशि तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक वह कम-से-कम वर्ष में एक बार अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसियों में से किसी एक से जमा राशियों के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड प्राप्त नहीं कर लेती तथा उस रेटिंग की प्रतिलिपि को विवेकपूर्ण मानदंडों पर विवरणी के साथ रिज़र्व बैंक को भेज नहीं देती।

13. किसी एनबीएफसी की क्रेडिट रेटिंग के पूर्व धारित स्तर से किसी स्तर पर ऊपर उठने अथवा नीचे गिरने की स्थिति में, उक्त कंपनी अपनी ऐसी रेटिंग होने के पंद्रह कार्य दिनों के भीतर ऐसी वृद्धि/ गिरावट के बारे में रिज़र्व बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगी।

बी. अनुमोदित साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसियां तथा न्यूनतम निवेश श्रेणी साख निर्धारण

14. न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग किसी भी सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से 'बीबीबी-' होगी।

सी मांग जमाराशि स्वीकारने पर निषेध

15. कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जनता की जमाराशि, जो मांग पर प्रतिदेय है, स्वीकार नहीं करेगी।

डी. जनता की जमाराशि की अवधि

16. कोई भी एनबीएफसी जनता की जमाराशि स्वीकृत अथवा नवीकृत नहीं करेगी, जब तक ऐसी जमाराशि बारह महीनों की अवधि के बाद लेकिन उसकी स्वीकृति अथवा नवीकरण की तारीख से साठ महीनों की अवधि के पूर्व, प्रतिदेय न हो।

ई. जमाराशि की मात्रा की उच्चतम सीमा

17. एनबीएफसी

(1) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम एनओएफ रखना होगा, तथा

(2) सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करना होगा,

जमाराशि स्वीकार करने की अथवा नवीनीकरण करने की तारीख को कंपनी की बही में शेष जमाराशि के साथ यह सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार कर सकती है तथा नवीनीकरण कर सकती है और जमाराशि इसकी एनओएफ के ढेड़ गुणा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते कि अपनी एनओएफ से ढेड़ गुणा की सीमा अधिक जमाराशियां धारण करने वाली एनबीएफसी तब तक जमाराशि स्वीकार अथवा नवीनीकरण नहीं कर सकती जब तक वह संशोधित सीमा को प्राप्त न कर ले।

बशर्ते कि आगे किसी भी अवधि पूर्ण जनता की जमाराशि का नवीकरण जमाकर्ता की सुस्पष्ट तथा स्वैच्छिक सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा।

एफ. क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करना

18. उक्त पैराग्राफ 15 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशिष्ट निवेश ग्रेड से कम क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेडिंग के मामले में ,एनबीएफसी होने के नाते उसे अपनी अतिरिक्त जमाराशियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमित करना होगा ;

(1) तत्काल प्रभाव से, नई जमाराशि स्वीकार करने को रोका जाए तथा मौजूदा जमाराशियों का नवीनीकरण नहीं किया जाए।

(2) मौजूदा जमाराशियों को उनकी परिपक्वता पर हटा दिया जाए; तथा

(3) इसकी रिपोर्टिंग 15 दिनों के अंदर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को किया जाए जहां एनबीएफसी पंजीकृत है।

जी. ब्याज दर की उच्चतम सीमा

19. कोई भी एनबीएफसी, साढ़े बारह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर पर जनता की जमाराशि आमंत्रित अथवा स्वीकार अथवा उसका नवीकरण नहीं करेगी। ब्याज अदा किया जाएगा अथवा अंतराल शेष राशि पर संयोजित किया जाएगा। यह अंतराल मासिक अंतराल से कम नहीं होगा।]

एच. अनिवासी भारतीयों से प्राप्त जमाराशियां

20. कोई भी एनबीएफसी अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों से जमाराशियों को आमंत्रित स्वीकृत अथवा उनका नवीकरण नहीं करेगी, जब तक कि यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमन, 2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) के तहत निर्धारित विनियमों का अनुपालन नहीं करता है और ऐसी जमाराशियां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ऐसी जमाराशियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दर से अधिक नहीं होंगी।

स्पष्टीकरण - उपर्युक्त जमाराशियों की अवधि एक वर्ष से कम तथा तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

आई. दलाली का भुगतान

21. कोई भी एनबीएफसी किसी भी दलाल को उसके द्वारा अथवा उसके माध्यम से संग्रहीत जनता की जमाराशि पर भुगतान नहीं करेगी -

(1) इस तरह संग्रहीत जमाराशि के दो प्रतिशत से अधिक दलाली, कमीशन, प्रोत्साहन राशि अथवा किसी भी नाम से संबोधित कोई अन्य लाभ नहीं देगी; तथा

(2) इस तरह संग्रहीत जमाराशि के 0.5 प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा प्रस्तुत संबंधित वाउचर्स/ बिलों के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय की अदायगी नहीं करेगी।

जे. जमाकर्ताओं को जमाराशियों की अवधिपूर्णता की सूचना देना

22. एनबीएफसी का यह दायित्व होगा कि वह जमाराशि की अवधिपूर्णता के ब्यौरे अवधिपूर्णता की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व जमाकर्ता को सूचित करे।

के. जनता की जमाराशि का नवीकरण

23. अगर कोई एनबीएफसी विद्यमान जमाकर्ता को उच्च ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए, अवधिपूर्णता के पूर्व जमाराशि के नवीकरण की अनुमति देती है, तो ऐसी कंपनी जमाकर्ता को ब्याज दर में वृद्धि का भुगतान करेगी बशर्ते -

(1) उक्त जमाराशि का इन निदेशों के अन्य प्रावधानों के अनुसार और मूल संविदा की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाता है; और

(2) जमाराशि की समाप्त अवधि पर ब्याज उस ब्याज की दर से एक प्रतिशत बिंदु कम अदा करेगी जो वह जमाराशि को उक्त चालू अवधि के लिए स्वीकार करने पर सामान्यतः अदा करती। इस तरह घटी दर से अधिक पहले अदा किया गया कोई भी ब्याज वसूल/ समंजित किया जाएगा।

एल. जनता की अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान

24. कोई एनबीएफसी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने विवेकानुसार जनता की अतिदेय जमाराशि अथवा उक्त अतिदेय जमाराशि के किसी अंश पर, जमाराशि की अवधिपूर्णता की तारीख से ब्याज अदा कर सकती है:

(1) इन निदेशों के अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार अतिदेय जमाराशि की कुल राशि अथवा उसके किसी भाग का नवीकरण उसकी अवधिपूर्णता की तारीख से किसी भावी तारीख तक के लिए किया गया है;

(2) अनुमत ब्याज उक्त अतिदेय जमाराशि की अवधिपूर्णता की तारीख को लागू उचित दर पर होगा जो केवल इस तरह नवीकृत जमाराशि की रकम पर देय होगा;

बशर्ते अगर कोई एनबीएफसी जमाराशि की अवधिपूर्णता पर जमाकर्ता द्वारा दावा किए जाने पर ब्याज सहित जमाराशि अदा करने में विफल हो जाती है तो उक्त एनबीएफसी, दावे की तारीख से चुकौती की तारीख तक जमाराशि को लागू दर पर ब्याज अदा करने के लिए बाध्य होगी।

25. ऐसी जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान के संबंध में जिसे या तो सरकारी प्राधिकारी द्वारा ज़ब्त कर लिया गया है तथा/अथवा संबंधित सरकारी प्राधिकार से आगामी सूचना प्राप्त होने तक अवरोधित (फ्रोज़ेन) किया गया है, ऐसी स्थिति में एनबीएफसी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगी:

(1) जमाकर्ता से जमाराशि की परिपक्वता पर एक अनुरोध पत्र प्राप्त किया जाए। नवीकरण हेतु जमाकर्ता से अनुरोध पत्र प्राप्त करते समय, एनबीएफसी उन्हें सूचित करे कि वे इस बात का उल्लेख करें कि जमाराशि का नवीकरण कितनी अवधि के लिए किया जाना है। यदि ग्राहक नवीकरण की अवधि के विकल्प को नहीं चुनता है तब एनबीएफसी उसे मूल अवधि के बराबर अवधि के लिए नवीकृत कर सकती है।

(2) इसके लिए नई रसीद जारी करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जमा लेज़र में नवीकरण के संबंध में उचित नोटिंग की जानी चाहिए।

(3) नवीकरण की सूचना पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर के माध्यम से संबंधित सरकारी विभाग को देते हुए जमाकर्ता को भी सूचित किया जाए। जमाकर्ता को दी जाने वाली सूचना में नवीकृत जमाराशि के ब्याज दर का भी उल्लेख होना चाहिए।

(4) यदि अतिदेय अवधि अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन से अधिक नहीं है तो नवीकरण परिपक्वता की तारीख से किया जा सकता है। यदि यह 14 दिनों से अधिक है, तो एनबीएफसी को उनके द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा तथा इसे ब्याज रहित उप-खाता में रखना होगा और मूल सावधि जमा की निर्मुक्ति पर अदा किया जाए।

26. तथापि, मूलधन तथा उस पर अर्जित ब्याज का अंतिम भुगतान संबंधित सरकारी एजेंसी से एनबीएफसी को उसके संबंध में अनापत्ति की सूचना प्राप्त होने के बाद ही किया जाए।

एम. संयुक्त जमाराशि

27. जहां ऐसा वांछित हो, जमाराशियां संयुक्त नामों में इन वाक्यांशों अर्थात् 'कोई या जीवित', 'नम्बर एक अथवा जीवित/ जीवितों', 'कोई या जीवित/ जीवितों' शामिल करते हुए या बिना शामिल किये हुए स्वीकार की जा सकती हैं।

एन. जनता की जमाराशियां मांग करनेवाले आवेदन फॉर्म में विनिर्दिष्ट किए जानेवाले विवरण

28. कोई एनबीएफसी द्वारा आपूर्त ऐसे फार्म में किए गए लिखित आवेदन को छोड़कर जनता की कोई जमाराशि स्वीकार अथवा नवीकृत नहीं करेगी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए के अंतर्गत निर्मित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 में निर्दिष्ट सभी विवरण होंगे और उसमें जमाकर्ता की विशिष्ट श्रेणी अर्थात् जमाकर्ता कंपनी का शेयरधारक या निदेशक या प्रोमोटर या जनता का सदस्य है, इसका भी उल्लेख होगा।

29. आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित भी होना चाहिए

(1) मीयादी जमाराशि को दी गई साख श्रेणी (क्रेडिट रेटिंग) तथा कंपनी की साख श्रेणी निर्धारण करनेवाली साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी का नाम,

(2) इस आशय का खंड होना चाहिए कि ऐसी जमाराशि की शर्तों के अनुसार जमाराशि अथवा उसके एक भाग की चुकौती नहीं किए जाने के मामले में, जमाकर्ता कंपनी लॉ बोर्ड के पूर्वी/ पश्चिमी/ उत्तरी/ दक्षिणी (जो लागू नहीं है उन्हें हटा दें) बेंच अथवा एनसीएलटी, जिसका पता नीचे दिया गया है, से संपर्क कर सकता है।

(3) इस आशय का खंड होना चाहिए कि जमाराशि की चुकौती में कंपनी की कोई त्रुटि के मामले में, जमाकर्ता सहायता/ राहत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद क्षतिपूर्ति फोरम, राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद क्षतिपूर्ति फोरम अथवा जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद क्षतिपूर्ति फोरम से संपर्क कर सकता है;

(4) यह वक्तव्य कि कंपनी की प्रकट की गई वित्तीय स्थिति तथा आवेदन फॉर्म में किए गए अभिवेदन सत्य तथा सही हैं और उनकी यथातथ्यता तथा सत्यता के लिए कंपनी तथा उसका निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं;

(5) इस बात की घोषणा कि कंपनी की वित्तीय गतिविधियां रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। लेकिन, यह स्पष्ट रूप से अवश्य समझ लिया जाए कि कंपनी की वित्तीय शक्ति अथवा कंपनी के किन्हीं वक्तव्यों अथवा अभिवेदनों अथवा अभिव्यक्त अभिमतों की यथातथ्यता की; तथा कंपनी द्वारा जमाराशि की चुकौती/देयताओं की चुकौती संबंधी कोई भी जिम्मेदारी रिज़र्व बैंक नहीं लेता है;

(6) आवेदन फॉर्म के अंत में लेकिन जमाकर्ता के हस्ताक्षर से पूर्व, जमाकर्ता द्वारा सत्यापन संबंधी निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए: `मैंने कंपनी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय ब्यौरों तथा अन्य, विवरणों/ अभिवेदनों को पढ़ा है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैं इस कंपनी में अपने जोखिम पर स्वेच्छा से राशि जमा करता/ करती हूं।'

(7) दी गई दोनों निधि तथा निधितर आधारित सुविधाओं से कुल बकाया और एक ही समूह की कंपनियों अथवा अन्य कंपनियों अथवा व्यापार उद्यमों से बकाया जिनमें निदेशकों तथा/ अथवा एनबीएफसी का पर्याप्त हित है और ऐसी सुविधाओं में निवेश की कुल राशि, इन सबसे संबंधित सूचना।

30. प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नये जमाकर्ताओं के खाते खोलने तथा जमाराशियां स्वीकार करने से पूर्व उनका उचित परिचय प्राप्त करेगी तथा अपने अभिलेख में उस साक्ष्य को रखेगी, जिस पर उक्त परिचय के लिए उसने भरोसा किया।

ओ. विज्ञापन तथा विज्ञापन के बदले में वक्तव्य

31. प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो जनता की जमाराशि आमंत्रित करती है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के प्रावधानों का अनुपालन करेगी तथा उसके अंतर्गत जारी किए जानेवाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित भी निर्दिष्ट करेगीः-

(1) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस तथा अन्य लाभ के रूप में प्रतिलाभ की वास्तविक दर;
(2) जमाराशि की चुकौती का स्वरूप;
(3) जमाराशि की परिपक्वता की अवधि;
(4) जमाराशि पर देय ब्याज;
(5) जमाकर्ता द्वारा परिपक्वता के पूर्व जमाराशि आहरण करने की स्थिति में जमाकर्ता को देय ब्याज दर;
(6) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन जमाराशि का नवीकरण किया जाएगा;
(7) जिन नियम एवं शर्तों के अधीन जमाराशि स्वीकृत/ नवीकृत की जाएगी उनसे संबंधित अन्य विशेषताएं;
(8) ऐसी जानकारी, उसी समूह की कंपनियों अथवा अन्य कंपनियों अथवा व्यापार उद्यमों से कुल बकाया (प्रदान की गई गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित) जिनमें निदेशकों तथा/ अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पर्याप्त हित है और ऐसी कंपनियों में निवेश की कुल राशि; तथा
(9) उसके द्वारा आमंत्रित जमाराशियां बीमाकृत नहीं हैं।

32. जहाँ कोई एनबीएफसी इलेक्ट्रानिक मीडिया जैसे टी.वी. में विज्ञापन देती है, भले ही उसमें जमाराशियों के लिए आमंत्रण न हो, वहाँ वह ऐसे विज्ञापन में एक शीर्षक/बैंड शामिल करे जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:

(1) कंपनी की जमा लेने की गतिविधि के तहत जनता की जमाराशियाँ प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों/जमाराशि आवेदन पत्रों के फार्म में दी गई सूचना को दर्शक/पाठक देख सकते हैं;

(2) कंपनी के पास आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईए के अंतर्गत दिनांक ---------को रिज़र्व बैंक जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र है। तथापि, कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की मौजूदा स्थिति या कंपनी द्वारा दिए गए किसी विवरण/वक्तव्य या निरूपण या व्यक्त किसी अभिमत/राय के सही होने एवं कंपनी द्वारा जमाराशियों की चुकौती / देयताओं को पूरा करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक कोई उत्तरदायित्व या गारंटी स्वीकार नहीं करता है।

33. जब कोई एनबीएफसी जनता से जमाराशि आमंत्रित किए बिना तथा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी जमाराशि आमंत्रित करने की अनुमति दिए बगैर या उसे ऐसी जमाराशि आमंत्रित करने के लिए कारण बताये बगैर जनता की जमाराशि स्वीकार करना चाहती है तो वह ऐसी जमाराशि स्वीकार करने से पहले, रिज़र्व बैंक को अभिलेख के लिए विज्ञापन के बदले में एक विवरण देगा जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (विज्ञापन) नियमावली, 1977 तथा उपर्युक्त पैरा 31 में दिए विवरणों के अनुसरण में विज्ञापन में शामिल किए जानेवाले आवश्यक सभी विवरण निहित होंगे तथा उल्लिखित विवरण उक्त नियमावली में दिए गए तरीके से विधिवत हस्ताक्षरित होगा।

34. उक्त पैरा 33 के तहत दिया जानेवाला विवरण, जिस वित्तीय वर्ष में वह दिया जाता है उसकी समाप्ति की तारीख से 6 महीने की समाप्ति तक या जिस तारीख को आम सभा में संबंधित कंपनी के समक्ष तुलन-पत्र रखा गया उस तारीख तक या अगर किसी वर्ष की वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं की गई है तो, कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार जिस अद्यतन तारीख को ऐसी बैठक आयोजित की जानी चाहिए थी उस दिन तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध होगा और उक्त विवरण की वैधता की समाप्ति के बाद संबंधित वित्तीय वर्ष में जनता की जमाराशि स्वीकार करने के पहले प्रत्येक बादवाले वित्तीय वर्ष में एक नया विवरण देना होगा।

अध्याय-IV जनता की जमाराशि की चुकौती के संबंध में सामान्य प्रावधान

ए. न्यूनतम अवरुद्धता अवधि और जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में चुकौती

35. कोई एनबीएफसी जनता की जमाराशि की जमानत पर कोई ऋण मंजूर नहीं करेगी या जमाराशि की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की अवधि (अवरुद्धता अवधि) के भीतर जनता की किसी जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती नहीं करेगीः

बशर्ते जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर एनबीएफसी उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त धारिता के मामले में जीवित जमाकर्ता/ओं को या मृत जमाकर्ता के नामिती अथवा नामांकित व्यक्ति या मृत जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी को, जीवित जमाकर्ता/नामांकित व्यक्ति/ कानूनी वारिस/सों को जीवित जमाकर्ता/ नामिती/ कानूनी वारिस के अनुरोध पर तथा मृत्यु का सबूत प्रस्तुत किए जाने पर ही, जिससे कंपनी संतुष्ट हो, जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती अवरुद्धता अवधि में भी कर सकती है।

बी. एनबीएफसी द्वारा जनता की जमाराशियों की चुकौती न होनेवाली समस्याग्रस्त एनबीएफसी

36. पैरा 35 में निहित प्रावधानों के अधीन कोई एनबीएफसी, समस्याग्रस्त न होनेवाली एनबीएफसी होने पर,

(1) पूर्णतः अपने विवेकानुसार जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती की अनुमति दे सकती है;

बशर्ते ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशि की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद, संबंधित जमाकर्ता के अनुरोध पर उसकी अवधिपूर्व चुकौती कर सकती है, यदि ऐसी जमाराशि की स्वीकृति की शर्तों से ऐसा करना अनुमत हो।

(2) जमाराशि की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद जमाकर्ता को, उस जमाराशि को देय ब्याज दर से दो प्रतिशतता अंक अधिक की ब्याज दर पर, जनता की कुल जमाराशि के 75 प्रतिशत तक ऋण मंजूर कर सकती है।

सी. आकस्मिक प्रकृति के कुछ व्यय को पूरा करने के लिए जनता की जमाराशि का पुनर्भुगतान

37. एक एनबीएफसी समस्याग्रस्त नहीं होने पर, आकस्मिक प्रकृति के कुछ खर्चों को पूरा करने के लिए, ऐसी परिस्थितियों के बारे में संबंधित एनबीएफसी की संतुष्टि के अधीन-

(1) जमाकर्ता के अनुरोध पर, ऐसी जमाराशियों की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले, बिना ब्याज के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को 'छोटी जमाराशि' का भुगतान समय से पहले किया जा सकता है;

(2) अन्य जनता की जमाराशियों के मामले में, जमा की मूल राशि की राशि का 50 प्रतिशत या ₹5 लाख, जो भी कम हो, जमाकर्ताओं के अनुरोध पर, ऐसी जमाराशियों की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले, बिना ब्याज के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को समय से पहले भुगतान किया जा सकता है; अनुबंधित दर पर ब्याज के साथ शेष राशि जनता की जमा के लिए लागू मौजूदा निदेशों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी;

बशर्ते कि गंभीर बीमारी के मामलों में, जमा की मूल राशि की राशि का 100 प्रतिशत, जमाकर्ताओं के अनुरोध पर, ऐसी जमाराशियों की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले, बिना ब्याज के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को समय से पहले भुगतान किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:

(i) इस प्रयोजन के लिए, आकस्मिक प्रकृति के व्यय में चिकित्सा आपातकाल या प्राकृतिक आपदाओं/आपदा के कारण संबंधित सरकार/प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित व्यय शामिल हैं।

(ii) 'गंभीर बीमारी' की परिभाषा के लिए, एनबीएफसी को आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 और उसके तहत जारी दिशानिर्देशों, समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा निदेशित किया जाएगा।

(iii) इन प्रावधानों के अनुसार राशि मौजूदा जमा अनुबंधों पर भी लागू होगी, जिसमें व्यक्तिगत जमाकर्ता को तीन महीने की समाप्ति से पहले जमा राशि की समय से पहले निकासी का अधिकार नहीं है।

डी. समस्याग्रस्त एनबीएफसी द्वारा जनता की जमाराशि की चुकौती

38. पैरा 35 में निहित प्रावधानों के अधीन, केवल निम्नलिखित मामलों में कोई समस्याग्रस्त एनबीएफसी जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती या जनता की जमाराशि पर ऋण की मंजूरी दे सकती है ताकि जमाकर्ता आकस्मिक स्वरूप के व्ययों को पूरा कर सके, अर्थात्

(1) बहुत छोटी जमाराशि को पूरी तरह चुकाना या अधिकतम 10,000 रुपये तक की जनता की कोई अन्य जमाराशि को चुकाना; या

(2) बहुत छोटी जमाराशि पर ऋण मंजूर करना या अन्य जमाराशि पर अधिकतम 10,000 रुपये तक ऋण देना, जिनपर ब्याज दर जमाराशि पर देय ब्याज दर से 2 प्रतिशत अंक ऊपर होगी।

ई. समस्याग्रस्त एनबीएफसी द्वारा विभिन्न जमाराशियों को जोड़ देना

39. समस्याग्रस्त एनबीएफसी द्वारा अवधिपूर्व चुकौती या ऋण की मंजूरी के प्रयोजन के लिए ऐसे जमा खाते जो एकल जमाकर्ता के नाम पर हैं/सबसे पहले जिस जमाकर्ता के नाम पर हैं, उसी क्षमता में एक जमा खाते के रूप में जोड़ दिए जाएंगे;

बशर्ते पैरा 35 में किए गए प्रावधान के अनुसार जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अवधिपूर्व चुकौती पर यह खंड लागू नहीं होगा।

एफ. जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती पर ब्याज दर

40. अगर कोई एनबीएफसी, पूर्णतः अपने विवेकानुसार या जमाकर्ता के अनुरोधर पर, जो भी मामला हो, जनता की जमाराशि की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने के बाद परंतु उसकी परिपक्वता अवधि के पहले उसकी चुकौती करती है (इसमें जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर की गई अवधिपूर्व चुकौती भी शामिल है), तो वह निम्नानुसार दरों पर ब्याज अदा करेगी

3 महीने के बाद परंतु 6 महीने के पहले	कोई ब्याज नहीं
6 महीने के बाद परंतु परिपक्वता की तारीख से पहले	जिस अवधि तक जनता से प्राप्त जमाराशि कंपनी के पास रही है उस अवधि के लिए जनता की जमाराशि को लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत निम्न दर पर ब्याज अदा किया जाएगा अथवा यदि उक्त अवधि के लिए कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जनता की जमाराशियां जिस न्यूनतम दर पर स्वीकार की जाती है उससे 3 प्रतिशत निम्न दर पर ब्याज अदा किया जाएगा।

अध्याय – V

विविध अनुदेश

ए. जमाकर्ता को रसीद देना

41. प्रत्येक एनबीएफसी जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त प्रत्येक राशि के लिए प्रत्येक जमाकर्ता को या उसके एजेंट को या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह को रसीद देगी।

42. उक्त रसीद संबंधित कंपनी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होगी तथा उस पर जमाराशि की तारीख, जमाकर्ता का नाम, जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त की गई राशि अक्षरों में और अंकों में, उसपर देय ब्याज दर और जिस तारीख को जमाराशि चुकौती योग्य होगी वह तारीख होगी;

बशर्ते यदि उक्त रसीद आवर्ती जमाराशि की प्रथम किस्त के बादवाली किस्तों से संबंधित हो तो उसमें केवल जमाकर्ता का नाम और जमाराशि की तारीख और राशि निहित हो सकती है।

बी. जमाराशि की पंजी

43. प्रत्येक एनबीएफसी सभी जमाराशियों के संबंध में एक या अधिक पंजियां रखेगी जिसमें/ जिनमें प्रत्येक जमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित विवरण अलग से प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात् -

(1) जमाकर्ता का नाम और पता,
(2) प्रत्येक जमाराशि की तारीख और राशि,
(3) प्रत्येक जमाराशि की अवधि और नियत तारीख,
(4) प्रत्येक जमाराशि पर उपचित ब्याज का दिनांक और राशि अथवा प्रीमियम,
(5) जमाकर्ता द्वारा किए गए दावे की तारीख,
(6) मूलधन, ब्याज अथवा प्रीमियम की प्रत्येक चुकौती की तारीख और राशि,
(7) चुकौती में पांच कार्य दिवस से अधिक समय के विलंब के कारण, तथा
(8) जमाराशि से संबंधित कोई अन्य विवरण

44. उपर्युक्त पंजी अथवा पंजियां कंपनी की उस प्रत्येक शाखा में रखी जाएगी/ जाएंगी जिस शाखा द्वारा संबंधित जमा खाता खोला गया है तथा सभी शाखाओं की एक समेकित पंजी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखी जाएगी और संबंधित पंजी में जिस किसी जमाराशि के विवरण निहित हैं उसकी चुकौती या नवीकरण की अद्यतन प्रविष्टि जिस वित्तीय वर्ष में की गई है उस वर्ष के बाद कम से कम आठ कैलेंडर वर्ष तक की अवधि के लिए उसे अच्छी स्थिति में परिरक्षित की जाएगी;

बशर्ते यदि वह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उप-धारा (1) या कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधान के परंतुक के अनुसरण में अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर, उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट खाता बहियां रखती है, तो इस खंड के साथ उसे पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा, यदि उपर्युक्त पंजी ऐसे किसी अन्य स्थान पर इस शर्त के साथ रखी जाती है कि उक्त उप-धारा के परंतुक के तहत कंपनी पंजीयक के पास दर्ज की गई नोटिस की प्रति, उसके दर्ज किए जाने के दिन से सात दिन के अंदर उक्त कंपनी रिज़र्व बैंक को सुपुर्द करती है।

45. एनबीएफसी केंद्रीकृत कंप्यूटर डेटाबेस पर उपरोक्त पैरा के तहत आवश्यक जमाराशियों के विवरण/विवरण को बनाए रख सकते हैं; बशर्ते कि जनता की जमाराशि के प्रमाणित विवरण संबंधित शाखाओं को भेजे जाते हैं, तिमाही आधार पर अर्थात् 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जानकारी को अद्यतन करते हुए, इस तथ्य के बावजूद कि शाखा जमा खाते नहीं खोलती है। एक तिमाही से संबंधित जानकारी अगली तिमाही के 10 वें दिन से पहले संबंधित शाखा तक पहुंच जानी चाहिए।

सी. जमाराशियों के संग्रहण के लिए शाखाएं और एजेंटों की नियुक्ति

46. [1]एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – शाखा प्राधिकरण) निदेश 2025 समय-समय पर यथासंशोधित, का अनुपालन करना होगा।

47. [2]हटाया गया।

डी. शाखाएं बंद करना

48. [3]एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – शाखा प्राधिकरण) निदेश 2025, समय-समय पर यथासंशोधित, के पैराग्राफ 15 और 16 के प्रावधानों अनुपालन करना होगा।

49. [4]हटाया गया।

---

[1] 15 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निर्देश, 2026 के अनुसार प्रतिस्थापित किया गया।
[2] 15 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निर्देश, 2026 के अनुसार हटाया गया।
[3] 15 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निर्देश, 2026 के अनुसार प्रतिस्थापित किया गया।
[4] 15 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निर्देश, 2026 के अनुसार हटाया गया।

ई. आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 45क्यूबी के अंतर्गत नामांकन नियम

50. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 क्यूबी के अनुसार एनबीएफसी के जमाकर्ता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बी.आर.अधिनियम 1949) की धारा 45 ज़ेडए के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिसे, जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के निधन पर एनबीएफसी द्वारा जमाराशि लौटायी जाएगी। भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 ज़ेडए के अंतर्गत बनाये गये बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985, ही संबंधित नियम हैं। तदनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमाकर्ताओं द्वारा उक्त नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रुप में किये गये नामांकनों को स्वीकार करें।

51. तदनुसार, एनबीएफसी जमाकर्ताओं द्वारा किए गए नामांकन को उक्त नियमों के तहत विनिर्दिष्ट प्रपत्र के समान रूप में स्वीकार करेगा। उक्त नियमों के नियम 2(9) के अनुसार, एनबीएफसी को जमाकर्ता को नामांकन के संबंधित विधिवत पूर्ण फॉर्म को भरने, रद्द करने और/अथवा नामांकन में बदलाव के बारे में लिखित रूप में स्वीकार करना आवश्यक है।

52. एनबीएफसी नामांकन के विधिवत पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म की प्राप्ति, रद्द करने और/या नामांकन में बदलाव को स्वीकार करने के लिए एक उचित प्रणाली विकसित करेंगी। इस तरह की पावती सभी ग्राहकों को दी जाएगी, भले ही ग्राहकों द्वारा इसकी मांग की गई हो। इसके साथ, एनबीएफसी पासबुक/रसीदों के सामने नामांकन सुविधा का लाभ उठाने के संबंध में स्थिति को 'नामांकन पंजीकृत' लीजेंड के साथ दर्ज करने की प्रथा शुरू करेंगी और यदि ग्राहक इसके लिए सहमत है, तो वह पासबुक/रसीद में नामांकित व्यक्ति के नाम का भी उल्लेख करेंगे।

एफ. चल परिसंपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा

53. प्रत्येक एनबीएफसी को –

(1) रिज़र्व बैंक के साथ एक सहायक सामान्य खाता-बही खाता खोलना या घटक के सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) खाताधारक के साथ एक गिल्ट खाता या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से किसी निक्षेपागार में डीमैट खाता खोलना और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईबी और ऐसे खाते में इन निदेशों के अध्याय II में विनिर्दिष्ट निदेशों के अनुसरण में उसके द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक अप्रतिबंधित अनुमोदित प्रतिभूतियों को रखना;

(2) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से एक को उस स्थान पर, जहां एनबीएफसी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, अपने नामित बैंकर के रूप में नामित करना और भौतिक रूप में, ऐसे बैंक अथवा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) को इन निदेशों के अध्याय II में विनिर्दिष्ट निदेशों के अनुसरण में उसके द्वारा उपलब्ध किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अभारित सावधि जमाराशि सौंपना, और ऐसी इकाई का नाम और पता सूचित करना जहां उसने अपना गिल्ट खाता खोला है अथवा निक्षेपागार (और निक्षेपागार सहभागी) जहां उसने अपना अमूर्तीकृत डीमैट खाता रखा है, लिखित रूप में, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, जैसा कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है:

बशर्ते कोई एनबीएफसी, जहां उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है उस स्थान से इतर अन्य किसी स्थान पर संस्था के पास उक्त खंड (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां सौंपना चाहती है तो वह प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये अनुसार रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय की लिखित पूर्वानुमति से ऐसा कर सकती है, जिस क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

इसके साथ ही, *बशर्ते* कि उक्त एसजीएल खाते में या गिल्ट खाता या डीमैट खाते में रखी सरकारी प्रतिभूतियों का रिवर्स तैयार वायदा संविदा सहित न तो तैयार वायदा संविदा में और न ही इसके बाद विनिर्दिष्ट क्रियाविधि तथा सीमा के अनुसरण के अलावा अन्यथा व्यापार किया जाएगा।

54. उपर्युक्त पैरा 53 में उल्लिखित प्रतिभूतियां जमाकर्ताओं के लाभार्थ, उक्त पैरा में यथाविनिर्दिष्ट रखी जाती रहेंगी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से जमाकर्ताओं को चुकौती के प्रयोजन के अलावा, एनबीएफसी उसका आहरण या नकदीकरण या अन्य कोई व्यवहार नहीं करेगी;

बशर्ते,

(i) कोई एनबीएफसी अपनी जनता की जमाराशि की कटौती के अनुपात में, लेखापरीक्षक द्वारा उक्त कटौती को विधिवत् प्रमाणित किये जाने पर ऐसी प्रतिभूतियों का एक हिस्सा आहरित कर सकती है।

(ii) इन प्रतिभूतियों का बाज़ार मूल्य किसी भी समय इन निदेशों के अध्याय II में यथाविनिर्दिष्ट, जनता की जमाराशियों की प्रतिशतता से कम नहीं होगी।

55. जहां एनबीएफसी या तो रिवर्स तैयार वायदा संविदा सहित तैयार वायदा संविदा द्वारा या अन्यथा, ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करना चाहती है जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइबी और इन निदेशों के अध्याय II में यथाविनिर्दिष्ट के तहत आवश्यक अपेक्षा से अधिक रखी गई है,

तो वह मामले में रिज़र्व बैंक के निदेशों के अध्यधीन, अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए एक अलग एसजीएल खाता या गिल्ट खाता या अमूर्तीकृत डीमैट खाता, खोलकर कर सकती है।

56. जमाकर्ताओं के हित को सुरक्षा प्रदान करने हेतु आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 45-आईबी के अनुपालन के उद्देश्य से रखी जाने वाली प्रतिभूतियों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अनिवार्यतः एसजीएल अथवा गिल्ट खाते अथवा अमूर्तीकृत डीमैट खाता रखे जाएंगे। इस खाते का परिचालन केवल जनता की जमाओं की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी के कारण प्रतिभूतियों की बिक्री और क्रय अथवा परिपक्वता के पश्चात प्रतिभूतियों को नकदीकरण कराने अथवा विशेष परिस्थितियों में जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान के लिए किया जा सकता है।

जी. कर्मचारी जमानत जमा

57. एनबीएफसी जो अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में अपने किसी कर्मचारी से उसके कार्यों के उचित निष्पादन के लिए जमानत के रूप में कोई रकम प्राप्त करती है तो उक्त रकम कर्मचारी और कंपनी के संयुक्त नामों से अनुसूचित वाणिज्यि बैंक अथवा डाक घर में निम्नलिखित शर्तों पर रखी जाएगी

(1) कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना कंपनी उक्त राशि आहरित नहीं करेगी; तथा

(2) उक्त राशि ऐसे जमा खाते पर देय ब्याज सहित कर्मचारी को प्रतिदेय होगी, अगर ऐसी राशि या उसका कुछ भाग कर्मचारी द्वारा अपने कार्यों के उचित निष्पादन में विफल होने के कारण कंपनी विनियोजित करने के लिए बाध्य न हो।

एच. निदेशक मंडल की रिपोर्ट में समाविष्ट की जानेवाली जानकारी

58. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 की उप-धारा (1) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधान, के तहत संबंधित कंपनी की आम सभा के समक्ष रखी गई निदेशक मंडल की प्रत्येक रिपोर्ट में एनबीएफसी के मामले में निम्नलिखित विवरण या जानकारी शामिल की जाएगी, अर्थात्

(1) कंपनी में जनता की जमाराशि के खातों की कुल संख्या, जिनकी चुकौती के लिए जमाराशि देय हो जाने की तारीख के बाद जमाकर्ताओं ने दावा नहीं किया है या कंपनी द्वारा उन्हें अदा नहीं किया गया है; और

(2) उपर्युक्त खंड (1) में निर्दिष्ट तारीखों के बाद दावा न किए गए या अदत्त रहे ऐसे खातों के अधीन कुल देय राशियां।

59. उपर्युक्त विवरण या जानकारी, संबंधित रिपोर्ट जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति से संबंधित होगी और पूर्ववर्ती पैरा के खंड (2) में यथानिर्दिष्ट, दावा न की गई या

वितरित न की गई शेष राशि का कुल यदि पांच लाख रुपए की राशि से अधिक होता है तो उक्त रिपोर्ट में, दावा न की गई या वितरित न की गई जमाकर्ताओं को देय राशियों की चुकौती के लिए निदेशक मंडल द्वारा उठाए गए/ उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों संबंधी एक विवरण भी शामिल किया जाएगा।

आई. रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये जानेवाले तुलनपत्र और खातों के साथ निदेशक रिपोर्ट, खातों पर टिप्पणियां तथा विवरणियों की प्रतियां

60. जनता की जमाराशियां स्वीकारने/ धारित करनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, कंपनी द्वारा आम सभा में पारित उक्त वर्ष से संबंधित लेखा परीक्षित लाभ-हानि लेखा तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधान के अनुसार उक्त आम सभा में कंपनी के समक्ष प्रस्तुत निदेशक मंडल की रिपोर्ट की एक प्रति, उक्त आम सभा के पंद्रह दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाए तथा उसी के साथ कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा लेखों पर टिप्पणियों की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की जाए।

जे. जनता की जमाओं की सुरक्षा- चलनिधि आस्तियों पर चल (फ्लोटिंग) प्रभार का सृजन

61. जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए एनबीएफसी अपने द्वारा स्वीकार की गयी जनता की जमाराशियों के लिए हमेशा पूर्ण कवर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(1) इस कवर की गणना करते समय सभी (सुरक्षित/असुरक्षित) डिबेंचरों की कीमत तथा सभी वाह्य देयताओं, जो जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताओं से भिन्न हों, को कुल परिसंपत्तियों में से घटा दिया जाए। इसके अलावा, एतदर्थ परिसंपत्तियों का मूल्य बही मूल्य या वसूलनीय/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो पर आंका जाए। संबंधित एनबीएफसी की यह जिम्मेदारी होगी कि उपर्युक्तानुसार आकलित परिसंपत्तियाँ यदि जनता की जमाराशियों के प्रति देयताओं को कवर करने से कम हों तो वह रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करे। जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली/ जमाराशियों की धारक सभी एनबीएफसी को निदेश दिया गया था कि वे आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी के अनुसार निवेशित सांविधिक चल परिसंपत्तियों पर अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार सृजित करें। ऐसे प्रभार कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के आवश्यकताओं के अनुसार विधिवत पंजीकृत होने चाहिए।

(2) एनबीएफसी आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी एवं समय-समय पर इस संबंध में बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार रखी गई सांविधिक चल परिसंपत्तियों पर "न्यास विलेख" क्रियाविधि से अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार सृजित करें। इस प्रभार को कंपनी रजिस्ट्रार

के पास पंजीकृत करवाना है और इस संबंध में सूचना न्यासियों और रिज़र्व बैंक को प्रदान करनी है। एनबीएफसी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इस संबंध में विवरण को शामिल करते हुए 'न्यास विलेख का प्रारूप' अनुबंध I में संलग्न है। 'न्यासी दिशानिर्देश' अनुबंध II में संलग्न है।

के. जनता की जमाराशियों की चुकौती में विफल रही एनबीएफसी को ऋण देने और निवेश करने से रोकना

62. कोई एनबीएफसी यदि जनता की जमाराशियों को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45क्यूए (1) के प्रावधानों के तहत पूरी तरह अथवा इसके किसी भाग को ऐसी जमाओं की शर्तों के अनुसार चुकौती नहीं कर सकती है तो यह ऐसी चूक बरकरार रहने तक किसी को ऋण अथवा किसी भी नाम से कोई उधार नहीं दे सकती और कोई निवेश नहीं कर सकती अथवा कोई अन्य आस्ति सृजित नहीं कर सकती है।

एल. जमीन और भवन तथा सूची से इतर के शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध

63. जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली कोई भी एनबीएफसी-आईसीसी निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी-

(1) अपनी स्वाधिकृत निधि के अधिकतम दस प्रतिशत की राशि के तुल्य स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी जमीन अथवा भवन पर;

(2) अपनी स्वाधिकृत निधि के बीस प्रतिशत से अधिक की राशि के तुल्य ऐसी किसी दूसरी कंपनी, जोकि सहायक कंपनी अथवा एनबीएफसी के समान समूह में है; की सूची में शामिल नहीं किये गए शेयरों पर;

बशर्ते कि अपने कर्ज को समायोजित करने की प्रक्रिया में अर्जित जमीन अथवा भवन अथवा सूची में शामिल नहीं किये गए शेयर को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा तीन वर्षों की अवधि के भीतर अथवा एनबीएफसी द्वारा ऐसी आस्तियों में इन आस्तियों में कुल निवेश उपर्युक्त सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे अभिग्रहण की तिथि से रिज़र्व बैंक द्वारा आगे बढ़ाई गई अवधि तक इनका निपटान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – सूची में शामिल नहीं शेयरों में निवेश की गणना करते समय, सभी कंपनियों द्वारा ऐसे शेयरों में निवेश की गणना की जाएगी।

साथ ही यह कि सूची में शामिल नहीं शेयरों में निवेश पर सीमा बीमा कंपनी के शेयर पूँजी में रिज़र्व बैंक द्वारा विषेश रूप से अनुमत सीमा तक निवेश के संबंध में यह किसी निवेश और ऋण कंपनी के लिए लागू नहीं होगा।

अध्याय- VI रिपोर्टिंग की आवश्यकता

64. एनबीएफसी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं का अनुपालन एनबीएफसी द्वारा किया जाएगा।

अध्याय-VII निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचत

65. इन निदेशों के जारी होने के साथ, एनबीएफसी पर लागू जनता की जमाराशियों की स्वीकृति से संबंधित मौजूदा अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि परिपत्र विवि.आरआरसी. आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

66. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों के तहत की गई अथवा की गई अथवा शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों अथवा स्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा अभिशासित माना जाएगा। इसके साथ, इन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होगा:

ए. उसके तहत प्राप्त, अर्जित अथवा उपगत किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व अथवा देयता;

बी. इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती अथवा सजा;

सी. पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती अथवा सजा के संबंध में कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय स्थापित, जारी अथवा लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती अथवा सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

67. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अवहेलना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएं

68. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से अथवा इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन अथवा व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, आरबीआई, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और आरबीआई द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत निदेशों का अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(जे पी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

पहली अनुसूची

(कृपया निदेश का पैरा सं.53 से 56 देखें)

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र

कार्यालय के नाम और पता	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र
1. अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, पहली मंजिल, मेन बिल्डिंग, गांधी पुल के पास, अहमदाबाद - 380 014.	गुजरात राज्य तथा संघशासित क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली
2. बंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय, 10-3-8, नृपतुंगा रोड, बंगलूर - 560 002.	कर्नाटक राज्य
3. भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, होशंगाबाद रोड, पोस्ट बॉक्स सं.32, भोपाल - 462 011.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य
4. भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पोस्ट बैग सं. 16, भुवनेश्वर - 751 001.	उड़ीसा राज्य
5. कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, 15, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001.	सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य तथा संघशासित क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह
6. चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, 11, सेन्ट्रल विस्टा, नया कार्यालय भवन टेलीफोन भवन के सामने सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.	हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य और संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़
7. चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय, फोर्ट ग्लासिस, राजाजी सल्लै, चेन्नै - 600 001.	तमिलनाडु राज्य तथा संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी
8. गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय, स्टेशन रोड, पान बाज़ार, पोस्ट बॉक्स सं.120, गुवाहाटी - 781 001.	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य
9. हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, 6-1-56, सेक्रेटेरियट रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.	आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य

10. जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, राम बाग सर्कल, टोंक रोड, पी.बी. सं.12, जयपुर - 302 004.	राजस्थान राज्य
11. जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, पोस्ट बैग सं.1, जम्मू - 180 012.	जम्मू और कश्मीर राज्य
12. कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर - 208 001.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य
13. मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई - 400 018.	गोवा और महाराष्ट्र राज्य
14. नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.	हरियाणा राज्य और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
15. पटना क्षेत्रीय कार्यालय, गांधी मैदान के दक्षिण, पोस्ट बैग सं.162, पटना-800 001.	बिहार और झारखण्ड राज्य
16. तिरुवनन्तपुरम क्षेत्रीय कार्यालय, बेकरी जंक्शन, तिरुवनन्तपुरम-695 033.	केरल राज्य तथा संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप

अनुबंध I

न्यास करार प्रारूप

यह न्यास करार ---- में दिनांक --- 20 को कंपनी अधिनियम 1956/ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित ---- कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय --- में है (इसके पश्चात कंपनी कहा जाएगा) एक पक्ष है और --- कंपनी अधिनियम 1956/ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित कंपनी लिमिटेड/---- अधिनियम के तहत स्थापित/गठित ---- बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय ---- में है, न्यासी (इसके पश्चात न्यासी कहा जाएगा) के रूप में दूसरा पक्ष है।

जहां अपने संस्था के अंतर्नियम द्वारा कंपनी उधार लेने अथवा जमा स्वीकार करके पैसे के भुगतान की उगाही और सुरक्षा के लिए प्राधिकृत है।

और जहां कंपनी के निदेशकों को विभिन्न योजनाओं के तहत जनता से जमा स्वीकार करने के लिए दिनांक ---- 200--- को आयोजित बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प द्वारा निर्धारित कंपनी के संस्था के अंतर्नियम द्वारा समुचित रूप से प्राधिकृत किये जा रहे हों।

और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी के प्रावधानों के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित इस निदेश के अध्याय II की शर्तों के अधीन बैंक में जमा मीयादी जमाओं पर जमाकर्ताओं के लिए प्रभार का निर्माण किया जाएगा।

और जहां कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी के प्रावधानों के तहत खरीदे गए प्रतिभूतियों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित इस निदेश के अध्याय II की शर्तों के अधीन बैंक में जमा आवधि जमाओं पर जमाकर्ताओं के लिए प्रभार का सृजन किया जाएगा।

और जहां उक्त उल्लिखित न्यासी इसके निदेशक बोर्ड द्वारा पारित दिनांक ------- के अपने संकल्प द्वारा जमाकर्ताओं के न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

अब यह करार साक्षी है और निम्नलिखित पक्षों के द्वारा और बीच में पारस्परिक सहमति के आधार पर घोषित करते हैं-:

1. जब तक विषय अथवा संदर्भ में कुछ असंगत नहीं हो तब तक निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो यहां दिया गया है-

(ए) "कंपनी" का तात्पर्य है मेसर्स------ कंपनी लिमिटेड।

(बी) "न्यासी" का तात्पर्य है कंपनी अधिनियम,1956/ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित ----- कंपनी लिमिटेड/--- अधिनियम के तहत गठित/स्थापित ----- बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय ---- में है।

(सी) "जमा" का तात्पर्य है कंपनी द्वारा बकाया के रूप में ली गई और इसके लिए कुछ लाभ के साथ स्वीकार की गई जमा राशि।

(डी) "जमाकर्ता" का तात्पर्य है एक निर्धारित अवधि के लिए जमा रसीद का धारण करना और जमाओं के धारक के पक्ष में जमा प्रमाणपत्र में उल्लिखित अनुसार जमाकर्ता के रजिस्टर में प्रविष्टी किया जाना।

(ई) "प्रभारित प्रतिभूतियां" ऐसी प्रतिभूतियां जिसे कंपनी द्वारा लिया गया हो और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईबी के प्रावधानों के तहत इन्हें निवेशित किया गया हो (----------द्वारा संचालित सीएसजीएल खाता संख्या -------- और /अथवा मेसर्स के पास जमा डीमैट प्रतिभूतियों में, डिपॉजिटरी और भौतिक स्वरूप में और/अथवा बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार बैंक में जमा सावधि जमा)।

(एफ) "अधिनियम" का तात्पर्य है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और कोई परिवर्तन अथवा पुन: लागू करना।

(जी) "निर्दिष्ट बैंकर" का तात्पर्य है वह बैंक जिसमें कंपनी प्रभारित प्रतिभूतियों और उसका कोई हिस्सा रखती है, जिसकी सूचना न्यासी और भारतीय रिज़र्व बैंक को देनी होती है।

जब तक कि पाठ से विपरीत अर्थ प्रतीत नहीं हो तब तक एक वचन में उल्लिखित शब्द, बहुवचन और इसके विपरीतार्थ में शामिल है।

2. इन लाभों के लिए पात्र जमाओं में जमाकर्ताओं द्वारा कंपनी में पहले से जमा की गई कुल जमाराशि होगी तथा भविष्य में जारी करने की तारीख या अन्यथा कारण से वरियता देने अथवा प्राथमिकता दिए बिना समान श्रेणी शामिल होंगी और यह प्रतिभूतियों में प्रभारित प्रभार द्वारा सुरक्षित होंगी।

3. कंपनी न्यासी को यहां यह वचन देती है कि जमाओं की परिपक्वता पर अथवा जमाराशि देय होने वाली ऐसी किसी पूर्व तिथि पर (संबंधित जमाओं की परिपक्वता अवधि पूरी होने के पश्चात ये जमा परिपक्व हो जाएंगी) जमाकर्ताओं को उनकी जमाओं द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान करेगी और बीच की अवधि में जमाकर्ताओं द्वारा चुने गए ब्याज के लिए मासिक अथवा आवधिक भुगतान चुने जाने के अनुसार उन्हें देय होने पर ब्याज अदा करेगी।

4. जमाओं के लिए जारी जमा प्रमाणपत्रों के संबंध में कंपनी द्वारा सभी भुगतान, चाहे वह ब्याज हो अथवा मूल राशि, चेक/वारंट/मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश द्वारा की जाएगी और कंपनी उक्त जमाओं के लिए मूल राशि और ब्याज के सहज भुगतान की व्यवस्था अपने खर्च पर करेगी।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी के प्रावधानों के तहत अधिकृत जमा के लिए निक्षेप और भविष्य में लाभार्थी मालिक के रूप में कंपनी के निक्षेप के प्रति इस प्रकार खरीद की गई सभी प्रतिभूतियों सहित न्यासियों पर प्रभार बनते हैं और इस निदेश के अध्याय II के अनुसार निक्षेप के रूप में बैंक में जमा की गई रू..... की जमाराशि जो जमाकर्ता की बकाया राशि के लाभ तथा अन्य सभी प्रकार के व्यय और अन्य बकाया के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा भविष्य में खरीदी जाने वाली प्रतिभूतियों के साथ साथ इन निदेश के अध्याय II के तहत बैंक में निक्षेप के रूप में जमा की गई जमाराशि मौजूद है जिसका भुगतान वर्तमान निदेश और चल प्रभार के रूप में निर्मित प्रभार के तहत प्रतिभूतियों पर प्रभार द्वारा रक्षित है। न्यासी किसी भी समय कंपनी को एक लिखित सूचना देकर उक्त चल प्रभार को नियत प्रभार में बदल सकते हैं और यदि न्यासियों का यह अभिमत हो कि उक्त प्रतिभूतियों को जब्त किये जाने अथवा किसी प्रकार के संकट अथवा निष्पादन स्तर अथवा किसी आशंका या किसी दूसरी स्थिति में बेचे जाने का खतरा हो तो वे इसे विधिक प्रभार के रूप में पंजीकृत करवा सकते हैं।

6. इन विलेखों के निष्पादन के पश्चात कंपनी यह स्वीकार करती है कि यह निर्मित प्रभार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 125 या कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधान के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करायेगी और प्रभार के पंजीकरण की सूचना न्यासियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को देगी। कंपनी प्रतिभूतियों पर न्यासियों के धारणाधिकार को संबंधित बैंक/डिपोजिटरी अथवा

किसी अन्य प्राधिकारी के साथ पंजीकृत करायेगी और इसकी सूचना न्यासियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को देगी।

7. कंपनी सभी प्रभारित प्रतिभूतियों को तब तक धारण और उपभोग करेगी जब तक इनकी सुरक्षा इन विलेखों की शर्तों के तहत लागू नहीं हो जाती है। ऐसी स्थिति में न्यासी अपने विवेकानुसार मूल्य के हिसाब से 90% जमाकर्ताओं के लिखित अनुरोध के पश्चात प्रभारित प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेंगे अथवा उनमें से कोई भी इसी विवेक से बेच सकते हैं, इसे मांग आधारित बिक्री से उक्त वर्णित प्रतिभूतियों के साथ पूर्ण रूप से अथवा उसके किसी भाग को पैसे में परिणत कर सकते हैं और इस हेतु एकमुश्त राशि अथवा किस्तों में अथवा कुछ राशि खाते में और शेष के लिए बंधक अथवा प्रभार द्वारा और बिक्री के लिए विशेष अधिकार अथवा नामे करने अथवा प्रस्तुत करने अथवा नामे करने का आरंभ करने हेतु अन्य करार अथवा किसी अन्य रूप में जो कि न्यासी के पास उपयुक्त और संपूर्ण अधिकार प्रदान करेगा कि वे उक्त प्रतिभूतियों अथवा उसके किसी भाग को बेचने के लिए किसी भी करार को संशोधित कर सके अथवा निरस्त कर सके और उसे संभावित हानि के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार हुए बिना पुनर्बिक्री कर सके और उक्त समझौतों तथा शर्तों एवं प्रयोजनों अथवा उक्त में से किसी एक और ऐसे सभी आश्वासनों और कार्यों को संपादित कर सकें जो उन्हें उचित लगे।

8. इस करार के तहत जमाकर्ताओं की बकाया राशि तत्काल देय हो जाएगी और इस हेतु गठित सुरक्षा प्रत्येक तथा निम्नलिखित में से किसी में भी इन विलेखों के अनुसार लागू हो जाएगी-

(ए) यदि कंपनी इन निदेशों के अध्याय II में दिये अनुसार जनता की जमाओं के लिए संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने में चूक करती है।

(बी) यदि कंपनी जमाकर्ताओं की सहमति के बिना अपना कारोबार बंद करती है अथवा ऐसा दर्शाती है कि उसका ऐसा करने का इरादा है।

(सी) यदि कंपनी को बंद करने हेतु किसी सक्षम न्यायिक कोर्ट द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है अथवा कंपनी के सदस्यों द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया है।

(डी) यदि कंपनी, कंपनी लॉ बोर्ड/एनसीएलटी अथवा कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में चूक करती है।

(ई) यदि न्यासियों की राय में जमा धारकों की सुरक्षा खतरे में है।

9. जैसे ही राशि देय होती है और पूर्ववर्ती खंड 8 के तहत सुरक्षा प्रवर्तित होती है (और जब तक कि भुगतान की तिथि और प्रवर्तित सुरक्षा की अवधि साधारण बहुमत से जमाकर्ताओं द्वारा स्पष्ट रूप से बढ़ाया नहीं गया हो), न्यासी प्रभारित प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लें और प्रभारित प्रतिभूतियों को तुरंत प्राप्त करने के लिए कदम उठाए और यथानुपातिक आधार पर राशि को जमाकर्ताओं के बीच वितरत कर दे।

10. इस समझौते के खंड संख्या 8 और 9 में उल्लिखित जब तक कोई घटना नहीं घटती है, न्यासी आवश्यकतानुसार प्रभारित संपत्ति अथवा उसके किसी हिस्से को संरक्षित करने अथवा इन विलेखों के खंड 8(ए) में दर्शाये अनुसार जमाओं की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उक्त कारोबार के कार्यकारी प्रबंधन के कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं करेगा।

11. न्यासी ऐसी बिक्री अथवा उगाही के अन्य माध्यमों की प्रक्रिया को निम्नानुसार तरीके अपनायेंगे अर्थात न्यासी अदा करेंगे-

(ए) सर्वप्रथम ऐसी बिक्री अथवा न्यास का निष्पादन अथवा क्रियान्वयन अथवा इन विलेखों के संबंध में अथवा न्यासी को दिये जाने वाले मानदेय, यदि कोई हो तो, सहित सुरक्षा के संबंध में सभी लागत, शुल्क और व्यय।

(बी) तत्पश्चात जमाकर्ताओं की जमाराशि

(सी) और अंत में, यदि कोई, अधिशेष है, तो कंपनी अथवा इसके हस्तांतरिती को।

बशर्ते कि यदि उक्त राशि ऐसी सभी राशियों की पूरी तरह से भरपाई करने के लिए अपर्याप्त हो, तो इन राशियों का भुगतान सभी जमाकर्ताओं को दर के अनुसार और बिना किसी वरीयता अथवा प्राथमिकता के उनके द्वारा रखी गई जमाओं के संबंध में बकाया राशि के अनुसार किया जाएगा।

12. जब इन विलेखों द्वारा सुरक्षित सभी राशियों का भुगतान हो चुका है और संतुष्ट किया जा चुका है, तब न्यासी कंपनी के अनुरोध और लागत पर और प्रभारित प्रतिभूतियों की सुरक्षा, पुनर्प्रेषण, पुनराबंटन, जारी करने और सौंपने अथवा इसके कुछेक भाग की बिक्री नहीं किये जाने अथवा कंपनी अथवा इसके प्रतिनिधि के पक्ष में निपटान नहीं किये जाने के संबंध में उक्त न्यासी द्वारा वहन की गई सभी लागत, शुल्क और व्यय ठीक प्रकार से अदा किये जाने पर आगे की कार्रवाई करेगा।

13. यहां कंपनी न्यासियों को निम्नलिखित वचन देती है-

(ए) यह कि इस विलेख के द्वारा सुरक्षित पैसे पर प्रथम चार्ज प्रभारित प्रतिभूतियों पर होगा।

(बी) यह कि कंपनी उक्त प्रभारित प्रतिभूतियों अथवा इसके किसी भाग को विनिर्दिष्ट बैंकर के पास रखेगी।

(सी) यह कि न्यासियों के पास यह अधिकार होगा कि वे कभी भी प्रभारित प्रतिभूतियों की जांच कर सकें और कंपनी इस संबंध में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

(डी) कंपनी गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित फार्मेट में न्यासियों को रिटर्न फाइल करेगी।

14. कंपनी इन विलेखों और इनकी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले और अन्य सभी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, लागत, शुल्क, व्यय, दावों और भविष्य में कभी उठने वाले अथवा उठाये जाने अथवा के समक्ष उत्पन्न होने वाले अथवा प्रभारित प्रतिभूतियों के संबंध में अथवा उनके लिए बिना उनकी स्वैच्छिक कारनों से किसी भी मुद्दे पर अथवा किये गए कार्य पर अथवा अनुमोदित कार्य पर हुए व्यय के साथ-साथ मांगों अन्य सभी दस्तावेजों के अनुमोदन और क्रियान्वयन की लागत, शुल्क और व्यय सहित इन विलेखों के ट्रस्ट बनाने से संबंधित सभी विधिक, यात्रा एव अन्य व्यय, शुल्क और व्यय की राशि न्यासियों को अदा करेगी।

15. जमाकर्ताओं के न्यासी सभी अथवा किसी भी न्यासीय शक्ति, प्राधिकार और इन विलेखों द्वारा उन्हें प्रदत्त विवेक का उपयोग न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करेंगे और वे जानबूझकर और स्वेच्छा से ट्रस्ट समाप्त किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

16. न्यासियों की समाप्ति की स्थिति में इन विलेखों के तहत प्राप्त सभी शक्तियों, प्राधिकारों के साथ दूसरा न्यास नियुक्त किया जाएगा और ऐसी नियुक्ति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

17. कंपनी के निदेशकों की सहमति द्वारा न्यासी किसी आवश्यकता या आकस्मिक जरूरत की स्थिति में इस विलेख की शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं; बशर्ते कि वे इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसे परिवर्तन जमाराशि धारकों के हित में हैं।

18. कंपनी न्यासियों को यह वचन देती है कि कंपनी सुरक्षा की निरंतरता के दौरान हर समय उचित परिश्रम और दक्षता के साथ उचित और कुशल तरीके से अपने कारोबार को जारी रखेगी और संचालित करेगी और प्रभारित की गई प्रतिभूतियों को बरकरार रखने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी और

कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखा बही रखेगी और इन विलेखों के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उपर्युक्त न्यासियों को सभी सूचनाएं देगी।

19. कंपनी न्यासियों को यह वचन देती है कि कंपनी न्यास द्वारा निर्धारित सभी दायित्वों का उचित निर्वहन और पालन करेगी।

गवाहों की उपस्थिति में कंपनी ने इन विलेखों में अपनी आम मुहर लगाई है और न्यासियों को उक्त दिन और वर्ष से उनके लिए दायित्व निर्धारित किया है।

गवाह

कंपनी की आम मुहर निम्नलिखित के समक्ष लगाई गई।

(निदेशक)

(निदेशक)

(न्यासी)

(न्यासी)

अनुबंध ॥

चल आस्तियां (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) न्यासी दिशा निर्देश

1. इन दिशानिर्देशों को जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के न्यासियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश कहा जाएगा।

2. कोई भी कंपनी/बैंक जमाकर्ताओं के न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगी, जबतक कि यह कोई 50 लाख रूपए की न्यूनतम पूँजी के साथ न्यास कारोबार करने वाला कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा लिमिटेड कंपनी नहीं हो और जो स्वतंत्र हो तथा जिसका कंपनी, इसके मूल शेयरधारकों अथवा कंपनी के निदेशकों से कोई संबंध नहीं हो।

3. जमाकर्ताओं के प्रत्येक न्यासी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा –

(i) जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ करार करना।

(ii) कंपनी के साथ किये गए करार में निर्धारित न्यासी के सभी दायित्वों का निर्वहन करना।

(iii) न्यास करार के प्रावधानों के अनुसार प्रभारित संपत्ति को कब्जे में लेना।

(iv) जमाकर्ताओं के हितों में सुरक्षा बनाए रखना।

(v) सुरक्षा लागू करने की दशा में आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य करना।

(vi) जमाकर्ताओं के हितों में सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यों को करना।

(vii) पता लगाना और स्वयं को संतुष्ट करना कि –

(ए) जमाओं पर देय ब्याज समय पर कंपनी द्वारा अदा कर दिए गए हैं।

(बी) जमाकर्ताओं को जमाओं की परिपक्वता अवधि की तिथि पर उनकी जमाराशि वापस दे दी गई हो।

(सी) न्यास करार के प्रावधानों का कंपनी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी समुचित सावधानी।

(डी) न्यास करार के किसी उल्लंघन की सूचना मिलती ही जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाना।

(ई) न्यास करार के किसी उल्लंघन की सूचना मिलती ही भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करना।

(एफ) कंपनी के न्यास करार के अनुपालन, जमाकर्ताओं को ब्याज की अदायगी में चूक तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई की छमाही आधार पर रिटर्न आरबीआई के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना, जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी पंजीकृत है।

4. जमाकर्ताओं के न्यासी सभी जमाकर्ताओं की बैठक आयोजित करेंगे अथवा कंपनी द्वारा आयोजित करवायेंगे।

(ए) किसी भी समय जमा धारकों में से शेष मूल्य में कम से कम 51% द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांगपत्र के आधार पर।

(बी) किसी भी ऐसी घटना के घटने पर जो डिफ़ॉल्ट उत्पन्न करे और जिसके कारण न्यासियों की राय में जमा धारकों की सुरक्षा खतरे में हो।

ऐसी बैठक की एक रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक की उस क्षेत्रीय कार्यालय, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में अग्रेषित किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी पंजीकृत है।

5. न्यासी, भारतीय रिज़र्व बैंक की उस क्षेत्रीय कार्यालय, को पूर्व सूचना देकर कंपनी के खाते, अभिलेखों, रजिस्टर और आवश्यकता पड़ने पर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए ट्रस्ट संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है; जिसके क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी पंजीकृत है।

6. जमाकर्ताओं के न्यासी कोई भी गलत बयान नहीं देंगे अथवा दस्तावेज, रिपोर्ट, कागजात या भारतीय रिज़र्व बैंक को दी गई जानकारी को दबा नहीं देंगे।

7. जमाकर्ताओं के न्यासी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी दस्तावेजी उल्लंघन अथवा किसी कानून, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी अन्य विनियामक प्राधिकारी के नियम निदेश के गैर अनुपालन के लिए किसी भी कार्रवाई, विधिक कार्यवाही इत्यादि की त्वरित सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को देंगे।

8. जमाकर्ताओं के न्यासी अपने किसी कार्य का प्रतिनिधित्व किसी भी कर्मचारी या अभिकर्ता को नहीं सौपेंगे। हालांकि, ट्रस्टी किसी अन्य दैनिक अथवा लिपिकीय कार्यों के लिए कर्मचारियों, एजेंटों, अधिवक्ताओं या किसी दूसरे पेशेवर विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकते हैं। यदि न्यासी किसी कर्मचारी को नियुक्त करता है, तो वह अपने कारोबार को संचालित करने से संबंध में अपने कार्यों/या चूक के लिए उत्तरदायी होगा।